

Website

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय-उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

दूरभाष संख्या 0141-2385522

औद्योगिक इकाईयों की विक्रय सूचना

राजस्थान वित्त निगम से सहायता प्राप्त निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयों का "जहां है जैसी है" नगद आधार पर/विलम्बित भुगतान पर विक्रय हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.सं.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद	विक्रय हेतु सम्पत्तियां	धरोहर राशि
शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, रीको चौक, भिवाड़ी, राजस्थान दूरभाष संख्या- 01493-220939, 224124				
1.	मै. प्रेम मैटल्स, जे-905, (डब्लू) औ. क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	ऑटो कम्पोनेन्ट्स	भूमि - 277 वर्गमीटर भवन- 3664 वर्गफीट	2.30 लाख
2.	मै. राजस्थान ऑटोमोबाईल्स, प्लॉट नं. जी-1-711, औ0 क्षेत्र चौपानकी, जिला अलवर	ऑटो मोबाईल एवं लोकोमेटिव पार्ट्स	भूमि - 1000 वर्गमीटर भवन -12900 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि	5.00 लाख
3.	मै. नीर एंटरप्राइजेज प्रा.लि. प्लाट नं. ई-45, जी-1 औद्योगिक क्षेत्र खुशखेडा जिला अलवर	कम्प्रेसर पार्ट ए एच यू आदि	भूमि - 2000 वर्गमीटर भवन- 17486 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि	8.91 लाख
शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, डी.आई.सी.बिल्डिंग, फूल बाग के पास, अलवर, राजस्थान दूरभाष संख्या- 0144-2700754				
4.	मै. कोशल इंजीनियर्स प्लाट नं. एफ-89, एमआईए, अलवर	फेब्रीकेशन	भूमि - 1867 वर्गमीटर भवन- 7946 वर्गफीट	5.00 लाख
5.	मै. विश्वकर्मा इंजीनियरिंग एण्ड रिपेयरिंग वर्क्स, प्लाट नं. एच-1-64 रीको औद्योगिक क्षेत्र, कोलाना, बांदीकुई (दौसा)	इंजीनियरिंग वर्क्स	भूमि - 500 वर्गमीटर भवन- 1623 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र(स्क्रेप)	1.00 लाख
शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर-उत्तर, रोड नं.4, वीकेआईए, जयपुर, राजस्थान दूरभाष संख्या- 0141-2330538				
6.	मै. एस.एल.इण्डस्ट्रीज प्लाट नं. जी-1-83 रीको औद्योगिक क्षेत्र, कालाडेरा, जयपुर	मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ सबमर्सीबल पम्प	भूमि - 501 वर्गमीटर भवन- 3049 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि	2.11 लाख

शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, सिटी रोड, राजकीय महाविद्यालय के पास, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान दूरभाष संख्या- 01463-246658				
7.	मै. विशिष्ट मार्बल खसरा नं. 122, टूकडा रोड, औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)	मार्बल स्लेब टाइल्स	भूमि - 4353.24 वर्गमीटर भवन- 7340 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि	8.67 लाख

निविदा मध्याह्न 3.00 बजे तक क्रम संख्या 2,4,5 एवं 6 की संबंधित शाखा कार्यालय एवं क्रम संख्या 1, 3 एवं 7 की निविदा मुख्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर पर प्रत्येक माह की 20 तारीख को की जाएगी।

प्रथम चरण में अविक्रित इकाईयों की नीलामी अगले चरण में की जाएगी। उक्त किसी दिवस पर अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को नीलामी की जाएगी। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इकाई की परिसम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा निविदा की दिनांक, समय, स्थान, धरोहर राशि एवं नियम व शर्तों के लिए निगम की वेबसाइट www.rfc.rajasthan.gov.in देखें या उप महाप्रबन्धक (अनुसरण एवं वसूली), मुख्यालय/संबंधित शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करें।

महाप्रबन्धक (ऑपरेशन्स)

निविदा की शर्तें एवं नियम : (1) निविदा के साथ धरोहर राशि का भुगतान नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-ऑर्डर द्वारा जो कि राजस्थान वित्त निगम के पक्ष में देय हो, के रूप में किया जाना चाहिये । (2) निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 1000/- नकद अथवा डीडी के रूप में जमा कराने होंगे । निविदाकार द्वारा इकाई की आंशिक सम्पत्ति को खरीदने की दशा में धरोहर राशि प्रस्ताव राशि की 5 प्रतिशत देय होगी । (3) निविदाकार नीलामी की विस्तृत शर्तें सम्बन्धित शाखा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । परिसम्पत्तियों का निरीक्षण कार्यालय समय पर कार्य दिवस को सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क कर किया जा सकता है । (4) रीको लि. की संस्थागत बकाया राशि यदि कोई हो तो क्रेता को स्वयं भुगतान करना होगा । (5) मूल ऋणी जिसकी सम्पत्तियों की नीलामी होने जा रही है, को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा नीलामी कार्यक्रम में भाग ले और इकाई की बेहतर कीमत दिलाने में सहयोग करें । ऋणी या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में यह समझा जायेगा कि ऋणी सम्पत्तियों की और अधिक कीमत दिलाने का इच्छुक नहीं है, ऐसी स्थिति में निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उन्हें नोटिस दिये बगैर सम्पत्तियों को सबसे उच्च बोलीदाता को विक्रय कर दें । (6) निगम द्वारा गठित नीलामी समिति प्राप्त बोली के आधार पर इकाई के विक्रय का निर्णय नीलामी दिवस पर नीलामी स्थान पर ही लेगी एवं नियमानुसार प्रारम्भिक/विक्रय राशि तथा आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करने पर इकाई का कब्जा क्रेता को दे दिया जावेगा । (7) शर्तें निविदा स्वीकार्य नहीं होगी । किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है । (8) किसी भी इकाई की नीलामी निगम द्वारा बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है । (9) नीलाम की गई इकाई की रजिस्ट्री पर दरें राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होंगी । (10) प्रथम चरण में अविक्रित इकाई की नीलामी अगले चरण में की जायेगी ।

(11) अधिक जानकारी के लिए मुख्यालय अथवा सम्बन्धित शाखा कार्यालय से सम्पर्क करें ।

113

राजस्थान वित्त निगम
मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

- (अ) इकाई का नाम (जिसकी परिसम्पत्तियां
निगम द्वारा विक्रय की जा रही है)
(ब) परिसम्पत्तियों का विवरण
(स) निविदा की तिथि

निविदा की शर्तें (नकद / विलम्बित भुगतान पर)

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित धरोहर राशि नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-आर्डर के रूप में जमा करानी होगी। निविदाएं निविदा प्रपत्र रूपये 1000/- फीस के साथ स्वीकार की जावेगी।
2. इकाई की परिसम्पत्तियों "जहां है जैसी है" की स्थिति में बेची जायेगी।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
4. (अ) केता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने पर केता को बिक्री राशि की 5 प्रतिशत राशि विक्रय प्रक्रिया पूर्ण होने पर, पूर्व में जमा कराई राशि समायोजित करते हुए, नकद, बैंक अथवा डीडी द्वारा तुरन्त उसी दिन जमा करानी होगी (केवल स्थानीय बैंक ही लिए जाएंगे)।
(ब) केता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने की दशा में धरोहर राशि अगर विक्रय राशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो वह "इनीशियल पेमेन्ट" के पेटे समायोजित कर ली जाएगी।
(स) इनीशियल पेमेन्ट और धरोहर राशि के अन्तर की राशि बैंक द्वारा भुगतान करने की दशा में विक्रय पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाएगा कि "बिक्री स्वीकृत पत्र बैंक का भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रभावी होगा"।

5. विक्रय राशि के भुगतान की प्रक्रिया:-

- (अ) यदि विक्रय राशि रूपये 25.00 लाख तक है तो निविदाकर्ता का परिसम्पत्तियां खरीदने का यह प्रस्ताव नकद आधार पर होगा तथा निविदाकर्ता द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि विक्रय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) जारी होने के 90 दिवस में जमा करानी होगी, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से देय होगा :-
(i) विक्रय राशि का 50 प्रतिशत (अर्नैस्ट मनी सहित) केता को विक्रय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) जारी होने के 30 दिवस की समाप्ति में जमा करानी होगी।
(ii) अग्रिम 25 प्रतिशत राशि अगले माह में जमा करानी होगी। (60 दिवस में)
(iii) शेष 25 प्रतिशत की राशि अगले माह में जमा करानी होगी। (90 दिवस में)
(iv) यदि विक्रय राशि का 50 प्रतिशत विक्रय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) के जारी होने के 30 दिवस में जमा नहीं कराई जाती है तो बिक्री स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी तथा धरोहर राशि (अर्नैस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी एवं इकाई की नीलामी शुभ नियमानुसार की जावेगी।
(v) विक्रय करार के निष्पादन का समस्त खर्चा केता को वहन करना होगा।
(vi) बिक्री इकाई की परिसम्पत्तियों का केता के पक्ष में विक्रय इकरार का निष्पादन एवं परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा।

(ब) यदि विक्रय राशि रूपये 25.00 लाख से अधिक है :-

- (i) निविदा की 25% राशि (पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए) केता को बिक्री स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर जमा करानी होगी। आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए बची गई परिसम्पत्तियों का कब्जा निगम से 30 दिवस के भीतर लेना होगा, अन्यथा केता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (अर्नैस्ट मनी) निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
(ii) यदि विक्रय विलम्बित भुगतान के आधार पर है तथा विक्रय राशि 25 लाख से 100 लाख रूपये तक है तो केता को विक्रय मूल्य का 25% नगद तथा शेष राशि खरीददार को 6 तिमाही किश्तों में तथा यदि विक्रय राशि 100 लाख से अधिक है तो 12 तिमाही किश्तों में चुकानी होगी जो कि परिसम्पत्तियों पर कब्जा लेने के 12 माह बाद प्रारम्भ होगी।

(iii) शेष विलंबित भुगतान राशि पर नीलागी के समय विद्यमान — प्रतिशत की दर से ब्याज विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन बाद अथवा परिसम्पत्तियों के कब्जा लेने के दिन से, जो भी पहले हो, तिमाही किरतों में देना होगा। केता को विलंबित ऋण का भुगतान "पोस्ट-डेटेड चेक" के द्वारा करना होगा। यदि खरीददार इसमें चूक करता है तो नियमानुसार दण्डनीय ब्याज रियायती दर से प्रतिशत अधिक, अर्थात् प्रतिशत की दर से देना होगा। इसके अतिरिक्त निगम को राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

6. खरीददार को अपनी इकाई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना होगा।
7. केता को रीको लि. के आई.पी.आई बकाया, जे डी ए / स्थानीय निकाय के बकाया से संबंधित बकाया राशि यदि कोई हो तो जमा करानी होगी इस बकाया राशि की जानकारी संबंधित शाखा प्रबंधक/रीको लि./जे.डी.ए./स्थानीय निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
8. औद्योगिक इकाई के केता को राज्य सरकार के विभाग यथा विद्युत वितरण कम्पनी, वाणिज्यिक कर विभाग, यातायात विभाग, खनिज विभाग, भूमि एवं भवन कर, राज्य एक्ससाईज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं उद्योग विभाग की बकाया राशि की जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. भूमि एवं भवन के केता को विक्रय संबंधी दस्तावेजों का निष्पादन राजस्थान स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर करना होगा तथा रजिस्ट्रेशन का व्यय भी केता को वहन करना होगा जो कि उपर्युक्त विक्रय राशि के अतिरिक्त होंगे।
10. केता यदि इस इकाई के भूमि एवं भवन में कोई प्रदूषण फैलाने वाली इकाई लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारक नियंत्रक मण्डल से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
11. भूमि के लीज होल्ड अधिकार शेष बची हुई अवधि के लिए हस्तान्तरित होंगे।
12. विलंबित विक्रय के मामले में खरीददार यदि धरोहर राशि (इनीशियल पमेंन्ट) 25% से अधिक राशि जमा करना चाहे तो करा सकता है। ऐसे मामलों में शेष बची हुई विलंबित भुगतान की राशि पर विद्यमान दर से ब्याज की राशि का भुगतान देय होगा। समय पर भुगतान नहीं करने की दशा में नियमानुसार दण्डनीय ब्याज देना होगा।
13. केता को अपनी अच्छी साख के बारे में निगम की संतुष्टि के लिए वांछित सूचना सम्पत्तियों पर कब्जा लेने के पूर्व/करार के पूर्व देनी होगी।
14. विलंबित भुगतान आधार के केता को यह सहमति देनी होगी कि निगम इकाई में जब तक ऋण बकाया है, क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो ऑफ इण्डिया को उससे संबंधित ऋण सूचनाएं उपलब्ध करा सकेगा एवं प्राप्त कर सकेगा।
15. यदि केता विक्रय करार का निष्पादन किसी फर्म, साझेदारी या कम्पनी के नाम करवाना चाहे तो ऐसी अवस्था में अनुमति के लिए केता को फर्म/कम्पनी में अपना हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रखना होगा और सभी साझेदारों/निदेशकों की साख के बारे में समस्त वांछित सूचना देनी होगी।
16. विलंबित भुगतान के आधार पर केता द्वारा इकाई कय करने पर, विलंबित भुगतान की राशि का एक प्रतिशत राशि (सर्विस चार्ज मय टेक्स) जमा कराने के उपरान्त ही विक्रय पत्र जारी किया जावेगा।
17. नकद आधार पर केता द्वारा इकाई कय करने पर, रुपये 5000/- का सर्विस चार्ज जमा कराने के उपरान्त ही विक्रय पत्र जारी किया जावेगा। जो कि विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं की जावेगी।
18. जिस अवधि तक राजस्थान वित्त निगम की ऋण राशि बकाया रहेगी उस अवधि तक परिसम्पत्तियों की पूर्ण राशि का पूर्ण बीमा केता को कराना होगा।

उक्त शर्तों के अतिरिक्त CRE cases की परिसम्पत्तियों की विक्रय के लिए निम्नलिखित शर्तें और लागू होंगी :-

19. परिसम्पत्तियों के विलंबित भुगतान के आधार पर खरीदने पर, खरीददार द्वारा एकल फ्लेट, ऑफिस एवं दुकान की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), विक्रय राशि में से नियमानुसार राशि निगम में जमा कराने पर ही जारी किया जावेगा।
20. इकाई स्थल पर यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कार्य है तो उसे संभावित/इच्छुक खरीददार द्वारा अपने स्वयं के खर्च से एवं स्वयं के स्तर पर ही नियमितकरण कराना होगा, जिसके लिए निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार एवं उत्तरदायी नहीं होगा।
21. The rate of intt shall be reset after every _____ months during the currency of loan after and the Corporation shall charge rate of intt. prevailing at that time or existing rate of interest at that time or existing rate of interest which ever is higher.

नोट- मैंने/हमने नीलामी की सभी शर्तें भलीभांति पढ़ एवं समझ ली हैं और नीलामी की सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर हैं।

(अ) नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता/व्यक्तियों के नाम एवं हस्ताक्षर

क्रमांक	निविदाकर्ता/व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		

(ब) नीलामी के सदस्य

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Bid: Offer Form (Rs.1000+18% GST i.e. Rs.180/-)

Cash/DD No.....

Receipt No.....

Date.....

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

HO/BO.....

1. Name of the bidder _____
2. Address of bidder _____

Phone _____
3. Bid for the assets of _____ M/s _____
Date of auction _____ Date _____
Earnest money as prescribed _____ Rs. _____
4. Details of earnest money:
 - i) Earnest money _____ Rs. _____
 - ii) DD/Cash receipt No. _____
5. Bid amount for
i) Composite unit _____ Rs. _____
ii) Only for land & building _____ Rs. _____
iii) Only for plant & machinery _____ Rs. _____

We/I offer Rs. _____ for purchase of assets (indicated above) of above said unit on the terms & conditions as decided by the "Corporation" and on the basis of "as is where is basis." We/I have inspected the assets for which bid has been given Our/My bid is on cash down/deferred payment basis.

Signature of bidder

Date: _____

Place _____